

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा  
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्रकुमार  
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 05/2025

सुमेर सिंह पुत्र कजोड जाति गुर्जर निवासी कालोता तहसील दौसा वर्तमान तहसील कुण्डल जिला  
दौसा

.....अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा वर्तमान तहसील कुण्डल जिला दौसा

... रेस्पोंड

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं० 83 दिनांक 30.5.1992 विरासत द्वारा तस्दीक तहसीलदार दौसा  
उपस्थित- 1. श्री पदम सिंह, अधिवक्ता अपीलांत।  
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम कालोता के पारित नामान्तरण सं० 83 दिनांक 30.5.1992 से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांत व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांत को उक्त गलती की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अब राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि की नकल ली तब अपीलांत को यह जानकारी हुई कि विरासत के नामान्तरण में ही अपीलांत का नाम राजेश अंकित हो रहा है जिस पर अपीलांत ने दिनांक 18.3.2025 को तलाश कर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अपीलांत को दिनांक 20.3.2025 को हुई इसलिए उक्त अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः अपील पेश करने में हुए देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांत को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा०पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कालोता में आराजी खसरा नंबर 490, 491, 492, 493, 494, 495, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 934, 935, 936 कुल रकबा 2.16 है० स्थित है उक्त भूमि में अपीलान्त का हिस्सा 1/32 है व खातेदार है। उक्त भूमि साबिक में कजोड पुत्र रामनिवास जो कि अपीलान्त का पिता था जिसकी मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरण उसके वारिसान हरिसिंह, मीठालाल, महेन्द्र, राजेश पुत्र कजोड नाबालिग व नाथी, जमना कजोड नाबालिग जरिए वली आनी बेवा कजोड के नाम तस्दीक किया गया। उक्त अपीलान्त व अपीलान्त के भाई बहिन नाबालिग थे तथा अपीलान्त की माँ एक अनपढ़ देहाती महिला थी उसने वक्त नामान्तरण अपीलान्त का नाम राजेश पुत्र कजोड अंकित करा दिया जबकि



जिला कलेक्टर, दौसा



राजेश तो अपीलान्ट का लाड प्यार का बचपन का नाम था अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह पुत्र कजोड है तथा अंकतालिका व राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड व ई-श्रमिक कार्ड आदि दस्तावेज में अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह पुत्र कजोड है तथा राजेश व सुमेरसिंह दोनों नाम के एक ही व्यक्ति है तथा राजेश 'तो अपीलान्ट का लाड प्यार का नाम है। नामान्तरण संख्या 83 खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। वक्त नामान्तरण अपीलान्ट व अपीलान्ट के अन्य भाई बहिन हरिसिंह, मीठालाल, महेन्द्र, नाथी, जगना नाबालिग थे तथा अपीलान्ट की माता आनी देवी थी जो अनपढ व कानून कायदो से अनभिज्ञ थी इसलिए उसने मुगालते में गलती से अपीलान्ट का नाम राजेश पुत्र कजोड अंकित करा दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह पुत्र कजोड है। अंकतालिका, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, व जनाधार कार्ड व ई-श्रमिक कार्ड में अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह अंकित है। इन दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में यह अंकित किया है कि सुमेरसिंह व राजेश दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है व दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। उक्त गलती महज भूलवश व सहवन से अनभिज्ञता के कारण हुई है तथा पटवारी हल्का ने भी नामान्तरण में अपीलान्ट का बचपन का नाम राजेश अंकित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 30.05.1992 को निरस्त फरमाते हुए अधिनस्थ तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट के वास्तविक नाम की जांच कर नामान्तरण में राजेश को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुमेरसिंह अंकित कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका देने हेतु भी निर्देश फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में ही नामान्तरण खोले जाने से पूर्व ही सही अंकन करवाना था। फिर भी यदि नामान्तरण अपीलांट के नाम ही हद तक दुरुस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता की एतकरफा बहस पर मनन किया गया।
7. अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 83 दिनांक 30.5.1992 को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर अपीलांट का सही नाम सुमेर सिंह (जो कि सहवन से राजेश कर दिया गया है) करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।
8. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 83 ग्राम कालोता का पटवारी हल्का द्वारा कजोड पुत्र रामनिवास कौम गुर्जर के फौत होने पर कजोड की विरासत में वारिसान के नाम हरिसिंह, मीठालाल, महेन्द्र, राजेश पि0 कजोड नाबालिग, नाथी, जमना पुत्री कजोड नाबा. आनी बेवा कजोड कौम गुर्जर के नाम नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलनात्मक अंकन किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 30.5.1992 को तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट की 8 वीं बोर्ड की अंकतालिका, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट का नाम सुमेर सिंह पुत्र कजोड अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 86 ग्राम कालोता पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.1992 को अपीलांट के नाम (सुमेर सिंह पुत्र कजोड गुर्जर) की हद तक निरस्त किया

जिला कलेक्टर, दौसा

जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जाँच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उक्त विवादित खसरा नंबर में अन्य पक्षकारान को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य साक्ष्य जो अधीनस्थ न्यायालय को उचित लगे एकत्रित कर, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 11.8.2025 को न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा अपना आदेश संभवतः 45 दिवस में पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयवाधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलेक्टर, दौसा